भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *443
जिसका उत्तर बुधवार, 24 जुलाई, 2019 को दिया जाना है

उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का अनुवाद

***443. डॉ. वेंकटेश नेता बोरलाकुंता :**

श्री ए.के.पी. चिनराज :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि उच्चतम न्यायालय के निर्णयों को तेलुगु सहित विभिन्न भाषाओं में पढ़ने के लिये एक नया एप विकसित किया गया है/विकसित किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक क्या प्रगति की गई है;

(ख) क्या सरकार को यह ज्ञात है कि उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का अनुवाद करके उन्हें तेलुगु भाषा सहित देश की कुछ स्थानीय भाषाओं में भी इसकी वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा ;

(ग) यदि हां, तो तत्सबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी भाषाओ के नाम क्या है तथा सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ तमिल भाषा को सम्मिलित करने हेतु यदि कोई कदम उठाए गए है तो उन कदमों सहित इस सबंधं में की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इस प्रयोजनार्थ अब तक आवंटित और उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विधि और न्या य्रसंचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) से (घ) : एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *443 जिसका उत्तर तारीख 24.07.2019 को दिया जाना है के भाग (क) से (घ) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

(क) : तेलुगु सहित प्रादेशिक भाषाओं में उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के अनुवाद में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग विचाराधीन है। हाल ही में, एक बुद्धिमत्ता समिति का गठन किया गया है और उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुवाद में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का ध्यानपूर्वक विचार करने के लिए प्रयोग का प्रस्ताव प्रारंभिक अवस्था में है।

(ख) और (ग) : वर्तमान में, तेलुगु सहित नौ स्थानिक भाषाओं में निर्णयों का अनुवाद किया जा रहा है और भारत के उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट पर इसे अपलोड किया जा रहा है। ये नौ भाषाएं है : असमी, बंगाली , हिंदी , कन्नड़ , मराठी , उड़ि या, तमिल , तेलुगु , और उर्दू। भारत के उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता के अधीन आने वाले मामलों से संबंधित निर्णयों का अनुवाद निम्नलिखित विषय-प्रवर्गों से संबंधित है:-

1. श्रम मामले ;
2. किराया अधिनियम मामले ;
3. भूमि अर्जन और अधिग्रहण मामले ;
4. सेवा मामले ;
5. प्रतिकर मामले ;
6. दांडिक मामले ;
7. कुटुंब विधि मामले ;
8. साधारण सिविल मामले ;
9. स्वीय विधि मामले ;
10. धार्मिक और पूर्त विन्यास मामले ;
11. साधारण धन और बंधक मामले ;
12. सरकारी स्थान (बेदखली) अधिनियम मामलों के अधीन बेदखली;
13. भूमि विधियां और कृषि अभिधृतियां ; और
14. उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित मामले ।

(घ) : अब तक, इस उद्देश्य के लिए कोई पृथक निधि आबंटित नहीं की गई है।

****